



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3142]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 13, 2017/कार्तिक 22, 1939

No. 3142]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 13, 2017/KARTIKA 22, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवंबर, 2017

का.आ. 3583(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 10ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड अकाउंटेंट (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 मई, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1634(अ), तारीख 4 मई, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(iii) श्री एस.बी. गौतम,  
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र),  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय,  
बी-2 विंग, दूसरा तल,  
पर्यावरण भवन,  
सी.जी.ओ. परिसर,  
नई दिल्ली -110 003.

—सदस्य"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/15/2016-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1634(अ), तारीख 4 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 1940(अ), तारीख 2 जून, 2016 और का.आ. 3015(अ), तारीख 21 सितंबर, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2017

**S.O. 3583(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10B of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) and in pursuance of rule 3 of the Chartered Accountants (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4<sup>th</sup> May, 2016 *vide* number S.O. 1634(E) dated the 4<sup>th</sup> May, 2016, namely:—

2. In the said notification, for serial numbers (iii) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“(iii) Shri S.B. Gautam,  
Regional Director (Northern Region),  
Ministry of Corporate Affairs,  
B-2 Wing, 2<sup>nd</sup> Floor,  
Paryavaran Bhawan, CGO Complex,  
New Delhi-110003

—Member”

3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2016-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 1634(E), dated, the 4<sup>th</sup> May, 2016 and subsequently amended *vide* number S.O. 1940(E), dated, the 2<sup>nd</sup> June, 2016, S.O. 3015(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2016.